

## राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विस्तृत विज्ञापन

क्रमांक: विज्ञापन सं. 04 / परीक्षा / E.E.O. & Curator/EP-I/2023-24

दिनांक : 21.07.2023

आयोग द्वारा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के लिए राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा नियम, 1980 के अन्तर्गत खोज एवं संखन अधिकारी (Exploration and Excavation Officer) के 01 पद तथा संग्रहालय (Curator) के 09 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई है तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या (पदों की संख्या में कमी/छूटि की जा सकती है) एवं उनमें आवश्यित पदों की संख्या निम्नानुसार है :-

| Post S.No. | Name of Post  | No. of Post(s) | Gen. (UR) |         |    | S.C. |          |      | S.T.    |    |    | O.B.C.   |      |         | M.B.C. |    |          | E.W.S. |         |    |    |          |   |
|------------|---|----------------|-----------|---------|----|------|----------|------|---------|----|----|----------|------|---------|--------|----|----------|--------|---------|----|----|----------|---|
|            |   |                | GEN.      | GEN. WE | WD | DV   | Ex. Ser. | GEN. | GEN. WE | WD | DV | Ex. Ser. | GEN. | GEN. WE | WD     | DV | Ex. Ser. | GEN.   | GEN. WE | WD | DV | Ex. Ser. |   |
| 1          | खोज एवं संखन अधिकारी (Exploration and Excavation Officer) | 1              | 1         | 0       | 0  | 0    | 0        | 0    | 0       | 0  | 0  | 0        | 0    | 0       | 0      | 0  | 0        | 0      | 0       | 0  | 0  | 0        |   |
|            | क्षेत्रिज आरक्षण:- विशेषयोग्यजन-0                         |                |           |         |    |      |          |      |         |    |    |          |      |         |        |    |          |        |         |    |    |          |   |
| 2          | संग्रहालय (Curator)                                       | 9              | 3         | 0       | 0  | 0    | 0        | 0    | 1       | 0  | 0  | 0        | 1    | 0       | 0      | 0  | 0        | 3      | 0       | 0  | 0  | 0        | 0 |
|            | क्षेत्रिज आरक्षण:- विशेषयोग्यजन- B/L.V.-I                 |                |           |         |    |      |          |      |         |    |    |          |      |         |        |    |          |        |         |    |    |          |   |

नोट:- संग्रहालय (Curator) के पदों में अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु आवश्यित 01 पद बैकलॉग का है जो कि पिछले भर्ती वर्ष 2011-12 का है जिसे सामान्य प्रक्रिया से नहीं भरा जायेगा।

Abbreviations Used: GEN – General, U.R.- Unreserved, SC – Scheduled Castes, ST- Scheduled Tribes, OBC – Other Backward Classes, MBC- More Backward Classes, EWS – Economically Weaker Sections, GEN WE – General Women, WD-Widow, DV-Divorced, Ex. Ser. – Ex Serviceman, B/L.V- Blindness/Low Vision

नोट :-

- कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जनजातियों या, यथास्थिति अनुसूचित जनजातियों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आवश्यित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जायगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रनीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोगजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आवश्यित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आवश्यित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।
- राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आवश्यित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
- किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह/परिव्यवत्ता/तलाकशुदा महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थीयों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर्र-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आवश्यित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह/परिव्यवत्ता/तलाकशुदा महिलाओं से या विवर्येन, भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह/परिव्यवत्ता/तलाकशुदा अभ्यर्थीयों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गई रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेगी और पात्र तथा उपयुक्त महिलाओं के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आवश्यित रिक्तियों उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थीयों द्वारा भरी जायेगी और विच्छिन्न विवाह/परिव्यवत्ता/तलाकशुदा महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षेत्रिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में अव्ययित महिला को भी पहले महिला कोटे के विरुद्ध सामायोजित किया जायेगा।
- विशेष योग्यजन/निःशक्तजन के लिए दर्शाएं गए पदों का आरक्षण क्षेत्रिज (Horizontal) है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
- राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आनेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार क्षेत्रिज (Categorywise-Horizontal) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आवश्यित रिक्तियों सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और विधवाओं के लिए आवश्यित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह/परिव्यवत्ता/तलाकशुदा महिलाओं से या विवर्येन, भरा जा सकेगा।
- राजस्थान विद्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्त उपयुक्त बैचमार्क निःशक्तजन की कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्त आगामी भर्ती वर्ष में अंग्रेजित की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तजन की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तर्रपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्तिको अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकता है।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आवश्यित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा C.A. No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.S.A.W. No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे public employment में एसटी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।

टिप्पणी:- “विन्दु संख्या 01 से 07 तक के प्राप्यवान संबंधित वर्ग के अंतर्गत पद आवश्यित होने की स्थिति में ही लागू होंगे।”

खोज एवं संखन अधिकारी (Exploration and Excavation Officer) के पदों हेतु :-

IInd Class Master's degree in History with Papers in ancient History and experience in field of Archaeology for atleast one season not less than 2 months.

संग्रहालय (Curator) के पदों हेतु :-

Second division with atleast 55% or above marks in Master's degree in Ancient or Medieval Indian History or M.A. Museology (with one subject History at Graduation level) or its equivalent.

शैक्षणिक अहंता संबंधी प्रावधान उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अहंता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्भिलित हुआ हो या सम्भिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा से पूर्ण शैक्षणिक अहंता अर्जित करने का संबूत देना होगा।

नोट :- खोज एवं संखन अधिकारी के पदों हेतु उक्त प्रावधान लाभ नहीं होगा। खोज एवं संखन अधिकारी के पद हेतु वालिंग शैक्षणिक अहंता प्राप्त करने के पश्चात् रिक्तियों की परीक्षा देय नहीं होगी।

वेतन दे-मैट्रिक्स लेवल पद क्र.सं. 1 के लिए :- पे-मैट्रिक्स लेवल L-14 (Grade Pay - 5400/-) पद क्र.सं. 2 के लिए :- पे-मैट्रिक्स लेवल L-12 (Grade Pay - 4800/-) नोट :- राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षाकाल में नियत मरीसक वेतन (Fix Pay) देय होगा।

आयु सीमा दिनांक 01.01.2024 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए।

नोट :- 1. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.09.2022 के अनुसार जो व्यक्ति 31.12.2020 को आयु सीमा के भीतर था, उसे 31.12.2024 तक आयु सीमा के भीतर ही समझा जायेगा।

2. उक्त पद आयोग द्वारा वर्ष 2011-12 या उससे पूर्व में विज्ञापित किये गये थे। तत्पश्चात् उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया। अतः जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2024 को अधिकार्य के होते हैं, उन्हें राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार उपर्युक्त अधिकार्य आयु सीमा में तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी।

विज्ञापित पदों के अनुरूप दर्शाइ गई वर्गवासियों के अनुसार संवित्तियां वर्गों अन्य विशेष श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के प्राप्तवान

क्र.सं. 1. अभ्यर्थियों के वर्ग पृष्ठ अन्य विशेष श्रेणियों 5 वर्ष Five Years

Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 2.  | सामान्य वर्ग की महिला<br>Woman Candidates belonging to General Category  | 5 वर्ष<br>Five Years                       |
| 3.  | राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिला अध्यर्थी<br>Woman Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections (E.W.S.) of Rajasthan State   | 10 वर्ष<br>Ten Years                       |
| 4.  | विधवा एवं विहिन विवाह (परित्यक्ता/तलाकशुदा) महिला<br>Widow and divorce Women<br><b>Explanation:</b> - In the case of widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorce, she will have to furnish the proof of divorce.   | अधिकतम आयु सीमा नहीं<br>No Upper age limit |
| 5.  | उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व केवी के मामले में लागू नहीं होगी, जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर substantive तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का मात्र था।<br>That the upper age limit mentioned above, shall not apply in the case of an Ex-prisoner who had served under the Government on a substantive basis on any post, before his conviction and was eligible for appointment under the rules.   |  |
| 6.  | ऐसे भूतपूर्व केवी के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उसके द्वारा भूतपूर्व कारबास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा बार्ता कि वह दोषसिद्धि के पूर्व आधिकार्य का नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।<br>That in the case of other ex-prisoner the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served by him provided he was not overage before his conviction and was eligible for appointment under the rules.  |  |
| 7.  | कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा में, उनके द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर्स में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि को शिथिल किया जायेगा यदि परिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अध्यर्थी को विहित आयु सीमा में समझा जायेगा।<br>That the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the Service rendered in the N.C.C. in the case of Cadet Instructors and if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit.   |  |
| 8.  | राज्य सरकार के कार्यकलापों के संबंध में substantive हैंसियत से सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।<br>Notwithstanding anything contained contrary in these Rules in the case of persons serving in connection with the affairs of the State in Substantive capacity, the upper age limit shall be 40 years for direct recruitment to posts filled in by competitive examinations or in case of posts filled in through the Commission by interview.  |  |
| 9.  | निर्मुक्त आयात कर्मीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं नियमों के पश्चात यदि वे सेना में निर्मुक्त होने के पश्चात जब वे आयोग के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा यहूं उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कर्मीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे।<br>That the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after released from the Army shall be deemed to be within the age-limit even though they have crossed the age-limit when they appear before the Commission had they been eligible as such at the time of their joining the commission in the Army.   |  |
| 10. | पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेवटर उपक्रमों/नियमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में Substantive रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।<br>That the upper age limit for persons serving in connection with the affairs of the Panchayat Samitis and Zila Parishads and in the State Public Sector Undertakings/Corporation in Substantive capacity shall be 40 years.   |  |
| 11. | राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु इन नियमों के अधीन शिथिलीकरण के पश्चात यदि अनुक्य आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी।<br>According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules 1988, relaxation in upper age limit shall be 10 years to Ex-servicemen; Provided that permissible age after relaxation under this rule work out to be more than 50 years then upper age limit of 50 years shall be applicable.<br>स्पष्टीकरण :- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.08.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 द्वारा संचालित के प्रावधानों के होते हुए भी किसी भी से भवित सेवा नियमों में आयु संबंधी जी शिथिलता अन्य लोक सेवकों/अध्यर्थियों को देय है, वह भूतपूर्व सैनिक को भी देय होगी अर्थात् आयु संबंधी शिथिलता के संबंध में दोनों नियमों में जो भी हितकर प्रावधान है, उसका लाभ भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा। |  |
| 12. | राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निःशक्तजन व्यक्तियों के लिए ऊपर उत्तिष्ठित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी।<br>According to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 05 years for persons with benchmark disabilities.  |  |

**नोट :-** विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम/तक की आयु सीमा में छूट दी गई हो, स्वतः ही निष्प्रभावी माने जायेगे।

#### चौट -

- उपर्युक्त वर्णित क्र.सं. 1 से 11 तक के आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचारी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अध्यर्थियों को उपर्युक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- विशेषयोग्यजन को ऊपरी आयु सीमा में देय छूट के उपर्युक्त विन्दु संख्या 01 से 11 तक के अनुसार छूट दिये जाने के पश्चात विन्दु संख्या 12 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार अतिरिक्त छूट देय होगी।
- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 एवं पत्र दिनांक 14.09.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु यदि किसी अध्यर्थी द्वारा सुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य विभाग (जैसे- आयुसीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे अनारक्षित विवित व्यक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।
- राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृति की आयु 60 वर्ष विवारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अध्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये हैं। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मान्य होंगे।

#### अन्य विवरण

|                           |  |
|---------------------------|--|
| चयन प्रक्रिया             | अध्यर्थियों का चयन नियुक्ति परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। आवश्यकता होने पर आयोग द्वारा उत्तरपत्रक/उत्तरप्रस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग/मोडरेशन/नॉर्मलाईजेशन (सामान्यीकरण) पद्धति को अपनाया जा सकता है। संबंधित सेवा नियम के नियम 21 के अनुसार आयोग द्वारा उपर्युक्त पार्ये यथो अध्यर्थियों के नाम राज्य सरकार/नियुक्ति प्राधिकारी को अनुशासित किये जायेंगे जो लियुक्त परीक्षा में प्राप्तांकों के मेरिट के क्रम में होंगे। |
| परीक्षा का स्थान व माह    | उक्त पदों हेतु परीक्षा माह नवम्बर, 2023 में आयोजित किये जाने की संभावना है। परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित किया जायेगा।  |
| परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम | लियुक्त परीक्षा उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम के नियम 20 के अनुसार आयोजित की जायेगी। परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जायेगी। परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक् से जारी किया जाएगा।  |

#### आवेदन अवधि

|                 |   |
|-----------------|---|
| आवेदन प्रक्रिया | 1. उक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अध्यर्थी आयोग की वेबसाइट <a href="https://rpse.rajasthan.gov.in">https://rpse.rajasthan.gov.in</a> पर उपलब्ध ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों (Instructions for Applicants), विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेवे। तदुपरान्त ही अध्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अध्यर्थियों के लिए विज्ञा-निर्देश (Instructions for Applicants) विज्ञापन का ही भाग/हिस्सा माना जायेगा।<br>2. ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अध्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट <a href="https://rpse.rajasthan.gov.in">https://rpse.rajasthan.gov.in</a> पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल <a href="https://sso.rajasthan.gov.in">https://sso.rajasthan.gov.in</a> से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम बार One Time Registration (OTR) करने हेतु अध्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/समकक्ष परीक्षा वरीयता एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/इडी.डी. प्रूफ के विवरणों का इन्ड्राज एवं ऑक्टोयूर्टेस अपलोड करने अनिवार्य होंगे।<br>3. जिन अध्यर्थियों द्वारा पूर्व में OTR किया जा चुका है वे अध्यर्थी एस.एस.ओ. पोर्टल <a href="https://sso.rajasthan.gov.in">https://sso.rajasthan.gov.in</a> से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर अपने OTR नंबर/संख्या के आधार पर ऑनलाईन आवेदन करें।<br>4. अध्यर्थी द्वारा One Time Registration करने के पश्चात OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/इडी.डी. प्रूफ के विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। <b>अतः OTR करने से पूर्व आधार/जनाधार/SSO प्रोफाइल में अंकित विवरण का शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित प्रविष्टियों से सावधानीपूर्वक मिलान सुनिश्चित कर लेवे।</b> यदि इसमें कोई अन्तर है तो जनाधार कार्ड/आधार कार्ड/ |
|-----------------|---|

|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>SSO ID</b> की प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन (Correction) करने के पश्चात ही OTR पंजीयन व आवेदन पत्र मरने की कार्यवाही करें।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमांक (Application I.D.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जायेगा।</li> <li>6. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें।</li> <li>7. आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पत्र है, उसी श्रेणी में ऑन-लाइन आवेदन करें। गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर आयोग अधिकारी पर निम्नानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।</li> <li>8. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रिमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा।</li> <li>9. अधिकारी ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी का प्रिंट आवश्यक रूप से निकाल लेवे।</li> <li>10. आयोग द्वारा अधिकारी से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन/हाथ से भरा आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।</li> <li>11. अधिकारी आवेदन में आवेदन की अंतिम तिथि तक अंजित सभी शैक्षणिक योग्यता/अनुमति का विवरण स्पष्टतः एवं आवश्यक तौर पर अंकित करें। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् ऐसी योग्यता/अनुमति विवरणीय नहीं होगा, यदि आवेदन में अंकन नहीं है। केवल आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् अंजित शैक्षणिक योग्यता/अनुमति ही बाद में विवरणीय होंगे।</li> </ol> |
|--|---|

ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना :- ऑनलाइन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अधिकारी ऑनलाइन आवेदन में OTR Profile में इशारे यादे स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन निम्नानुसार कर सकता है:-

1. यदि कोई अधिकारी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात् भील निर्धारित शुल्क रूपये 500/- - देकर Online संशोधन (आयोग की वेबसाइट <https://rpse.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध दिशा-निर्देशानुसार) कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अधिकारी का ही होगा।
2. आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 45 दिवस पूर्व 10 दिन के लिए ऑनलाइन ऐडेंट हेतु विकल्प खोला जायेगा जिसके अंतर्गत अधिकारी के फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किये जा सकते हैं।
3. किसी भी प्रकार के संशोधन के पश्चात् अधिकारी को एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित किया जायेगा एवं किए गए संशोधन की पुस्ट ओटी.पी. के माध्यम से की जायेगी।
4. **One Time Registration (OTR) लागू** किये जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अधिकारी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग में किसी स्तर पर कोई संशोधन संभव नहीं होगा।
5. सभी प्रकार के अनुमति संशोधन हेतु शुल्क 500/- रूपये निर्धारित है।
6. आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के पश्चात् किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा।
7. आयोग द्वारा अधिकारी से उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य संशोधन किये जा सकते हैं।

एकलारी पंजीयन शुल्क :- कॉमिक (क-2) विनाग के प्रियक्रिया दिनांक 19.04.2023 के द्वारा समस्त भर्ती परीक्षाओं में एकलारी पंजीयन शुल्क निर्धारित किया गया है जो निम्नानुसार है-

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. सामान्य (अनारकिता)/पिछड़ा वर्ग के क्रिमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग के क्रिमीलेयर के अधिकारी -  | रूपये 600/- |
| 2. आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रिमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रिमीलेयर/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/सहरिया क्षेत्र) के अधिकारी - | रूपये 400/- |
| 3. दिव्यांगजन -   | रूपये 400/- |

#### नोट :-

1. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अधिकारीयों को सामान्य वर्ग का अधिकारी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अन्याधिकारीयों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा।
2. जिन अधिकारीयों द्वारा पूर्व में वन टाईम रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, वे अधिकारीयी भी एसएसओ आईडी द्वारा लॉग इन कर वन टाईम रजिस्ट्रेशन के ऑफ्शन पर जाकर उपर्युक्तानुसार निर्धारित एकलारीय पंजीयन शुल्क जमा करवायें।

| Scheme of examination for the post of |                                | 1. Exploration and Excavation officer | 2. Curator  |                      |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|
| S.No.                                 | Subject                        | No. of Questions                      | Total Marks | Examination Duration |
| Part-A                                | General Knowledge of Rajasthan | 40                                    | 40          |                      |
| Part-B                                | Concerned Subject              | 110                                   | 110         | 2.30 Hours           |
|                                       | Total                          | 150                                   | 150         |                      |

1. The competitive examination shall carry 150 marks and 150 questions of Multiple Choice Type questions.

2. There shall be one paper. Duration of Paper will be Two hours and Thirty Minutes.

3. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one-third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

Explanation :- Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.

नोट:- खोज एवं उत्खनन अधिकारी तथा संग्राहात्मक के पर्याय हेतु अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जायेगा।

#### अंति महत्वपूर्ण बिन्दु/नोट :-

1. अधिकारी Online Application Form में अपना यही मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. अंकित करें जिस पर यह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS & E-Mail के माध्यम से चाहता है। ऑनलाइन आवेदन में अंकित मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. बदलने/बद्ध होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अधिकारी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
2. अधिकारी यथासम्बन्ध मोबाइल नम्बर एवं पत्र व्यवहार के पर्याय में परिवर्तन नहीं करें, यदि परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो; तो इसकी भूचना आयोग को शीघ्र भेजें।
3. आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्रथमपूर्वक भरें। आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्रतिवर्तन रूप से भरने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आशयस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में आवेदन की अंतिम दिनांक का इन्जाराजर किये जिन्हाँ आवेदन करें, अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होकर अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. आवेदक द्वारा स्वयं/ई-मित्र/अन्य किसी स्तरों से ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/भूलवश त्रुटि हो जाती है, तो इसकी भूचना आयोग को शीघ्र होजें। इसलिए आवेदक सर्वदा इन्जाराजर के Preview में अपनी जाति/वर्ग/श्रेणी, आयु (जन्म दिनांक), विवाह, योग्यता इत्यादि संबंधी दर्ज प्रविष्टियों की जांच आवश्यक रूप से करने के पश्चात् त्रुटि होने पर उहाँ सुधारते हुए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को Submit करें और उसका प्रिंट लेकर उसकी जांच आवश्यक रूप से पुनः कर लें। अगर फिर भी कोई गलती/त्रुटि का पार्द आइती है, तो आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में संशोधन की उपर्युक्त प्रविष्टि अनुसार संशोधन आवश्यक रूप से की जायेगी। साथ ही आवेदक को यह भी हिदायत दी जाती है कि आवेदक अगर ई-मित्र अधिकारी अन्य स्तरों से आवेदन करवाता है, तो आवेदक स्वयं ई-मित्र अधिकारी अन्य स्तरों के भरोसे न छोड़े कि उनके द्वारा आपका ऑनलाइन आवेदन-पत्र सही-सही भर दिया होगा/जायेगा। किसी भी प्रकार की गलत सूचना भरे जाने पर आयोग अधिकारी के विलद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।
5. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारी का परिव्याप्त भाव मानते हुये आवेदन पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् उसकी भूचना नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन-पत्र आयोग द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सेनिक/टी.एस.पी./विधवा/विधिन्द्रिय विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर चाजपात्रित कर्मचारी/मन्त्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य वर्ग के अधिकारी Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख निर्धारित कॉलाम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अंतिम दिनांक पश्चात् संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अधिकारीयों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होकर आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरा है उस संबंधित वर्ग/श्रेणी से संबंधित प्रमाण-पत्र/दस्तावेज (ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का बना होना

7. चाहिए।) यथा समय प्रस्तुत नहीं करने पर अवेदक/अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन—पत्र निरस्त/रद्द/पात्रता रद्द कर दी जायेगी/जायेगा। आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन—पत्र में भर्ती गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी इत्यादि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदन—पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

8. आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र, आवेदन—पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से संबंधित भर्ती परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश—पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन—पत्र में उल्लेखित प्रविष्टियाँ आयोग द्वारा सही मान ली गई हैं। आयोग/विभाग द्वारा आवेदकों की पात्रता की जांच अलग से की जायेगी। अस्थाई रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन—पत्र वो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों एवं परीक्षा हेतु जारी ई—प्रवेश पत्र की प्रति के साथ आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय तथा नूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/टी.एस.पी./विधवा/थिर्छिन्न पिंवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता/विकलांगता/साज्ज कर्मचारी/गैर राजपत्रिक कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य शर्तों की पालन नहीं करने के कारण यदि अभ्यर्थी को अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

9. यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि तक विस्तृत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं करता है तो यह माना जाकर कि अभ्यर्थी उक्त पद हेतु इच्छुक नहीं है, उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

10. माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.Special Appeal Writ No. 1631/2017 आप्सीएससी बनाम प्रियंका जैन व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन—पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक विधवा/परित्यक्ता/विधाह विच्छिन्न/तलाकशुदा वर्ग में आवेदित नहिला द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अतिम दिनांक के पश्चात पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विधवा/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता वर्ग का लाभ दिया जायेगा। दुसी प्रकार ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात परन्तु ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की तिथि तक जो आवेदक/आवेदिका विकलांग/विधवा/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता हुआ/हुई है, उन्हें विकलांग/विधवा/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता वर्ग का लाभ लेने हेतु उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अपना वर्ग अनिवार्य रूप से परिवर्तन करवाना होगा अन्यथा उसे विकलांग/विधवा/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा। यदि परित्यक्ता/तलाकशुदा/विवाह विच्छिन्न आवेदक का तलाक सम्बन्धी प्रकरण/वाद माननीय न्यायालय में विचारणीय/लम्बित है एवं डिग्री पारित नहीं हुई है, तो परित्यक्ता/विवाह विच्छिन्न/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। साथ ही विधवा/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी की नहिला को ऑनलाईन आवेदन की अतिम दिनांक/संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या विधवा/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शापथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11. आवेदक उक्त पद हेतु तभी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निर्धारित निम्न व सच्च आयु सीमा के अन्तर्गत वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सम्पूर्ण मानदण्ड/मापदण्ड पूर्ण करता हो। साथ ही इस विज्ञापन में दी गई उक्त वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता एवं अनुभव को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन में उल्लेखित अनुसार शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण—पत्र होने पर ही पात्र माना जायेगा अन्यथा अपात्र माना जायेगा।

12. आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई निम्नतम आयु एवं अधिकातम आयु संबंधी छूट नहीं दी जायेगी।

13. परीक्षार्थीयों को ई—प्रवेश—पत्र पर उल्लेखित विस्तृत दिशा—निर्देशों की पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

14. परीक्षा के दौरान औ.एम.आर. पत्रक (उत्तर पुस्तिका) में अंकित दिशा—निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा, परीक्षार्थी द्वारा औ.एम.आर. पत्रक में किसी प्रकार की गलती/त्रुटि करने के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

15. परीक्षा के दौरान प्रश्न—पत्र में अंकित दिशा—निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा, परीक्षार्थी द्वारा प्रश्न—पत्र में दिये गये दिशा—निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण किसी प्रकार की गलती/त्रुटि के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

16. प्रश्न—पत्र में त्रुटि होने अथवा एक से अधिक उत्तर गलत/सही होने अथवा उत्तर कुंजी में गलती/त्रुटि अथवा प्रश्नोत्तर के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग के विषय विशेषज्ञों के पैनल द्वारा तैयार की गई अन्तिम उत्तर कुंजी के आधार पर जारी परिणाम को मानने का आयोग को स्वाक्षिकार होगा, जो सभी अभ्यर्थियों को स्वीकार्य होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई वाद—विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

17. परीक्षार्थी द्वारा केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यता: पालन नहीं करने/परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध आयोग/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यालयी कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 एवं नवीनतम संशोधन के अनुसार आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यालयी की जायेगी।

18. यदि किसी अभ्यर्थी/परीक्षार्थी को आयोग की किसी भी भर्ती/परीक्षा बोर्ड द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग/उपभोग या अनुचित/अभद्र व्यवहार को लिए भविष्य की परीक्षाओं/साक्षात्कारों आदि से विरुद्ध (Debar) किया गया है, तो उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं/साक्षात्कार में समिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

19. राज्य कर्मचारी को देय लाभ यथा आयुसीमा में छूट, आरक्षण इत्यादि केवल राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को ही प्राप्त है। अन्य राज्य के कर्मचारी या केन्द्र सेवा के कर्मचारी सामान्य अभ्यर्थी ही माने जायेंगे, उन्हें उक्त लाभ नहीं दिया जायेगा।

## प्रमाण-पत्रों का सत्यापन :-

आवेदक को विशेष (अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूत्पूर्व सैनिक/टी.एस.पी./विधवा/विद्युचिन वियाह/तलाकशुदा/परिवर्यक्ता/यिकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मन्त्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य) का लाभ तब ही देय होगा जबकि परीक्षा/मुख्य परीक्षा/संवीक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की जांच कर ली गई हो तथा दस्तावेज सही पारे मार्हे हों। अतः प्रत्यक्ष की पाँच हेतु विस्तृलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने सन्तुष्टिचित् कर लिया जावे:-


- किया जायेगा। कार्मिक (क-4/2) विभाग के पत्र दिनांक 19.07.2021 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किये जाने के पश्चात् सेवानिवृत्ति के प्रमाण का प्रस्तुतिकरण के लिए 01 वर्ष की अवधि की गणना आवेदन पत्र की अंतिम तिथि से की जायेगी। साथ ही यदि किसी भूतपूर्व सैनिक ने आरक्षण का लाभ लेने के पश्चात् राजस्थान सरकार के अधीन किसी पद पर एक बार सेवा ग्रहण कर ली है तो राजस्थान सरकार के अधीन पुनर्नियोजन के प्रयोजन के लिए उसकी भूतपूर्व सैनिक की प्रारिधित समाप्त हो जायेगी। राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन ग्रहण करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को एक सिविल कर्मचारी माना जायेगा। परन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहाँ किसी भी पद के लिए, किसी निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है, भूतपूर्व सैनिक को केवल इस कारण से कि वह, सरकारी सेवा में किसी निम्नतर पद, जिसका अनुभव उच्चतर पद पर सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित है, पर नियोजित है, भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवरित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारंभिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिनके लिए उसने आवेदन किया है, के लिए आवेदन की तारीख—वार व्यारों के बारे में कोई स्वतः घोषणा पत्र/बचनबंध देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवरित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह कि भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमित्तक/संविदा/अस्थायी/तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवरित नहीं किया जायेगा। 'कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवाएं (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभ, राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही देय है।'
9. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह-13 / 2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी विवाह प्रमाण—पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा।
  10. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चों/सन्तानों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरहित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों/सन्तानों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी आवेदक के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा/सन्तान है, किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चों/सन्तानों पैदा होते हैं, वहाँ बच्चों/सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निश्चित हो, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उपनियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरहित नहीं है तो उसे निरहित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। तत्सम्बन्धी शपथ—पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा।
  11. आवेदक को विज्ञापन में उल्लेखानुसार आवश्यक वांछित शैक्षणिक योग्यता व अनुभव प्रमाण—पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
  12. विधवा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक/संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या विधवा/परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  13. आवेदक को अन्तिम शैक्षणिक संस्था का चरित्र प्रमाण—पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चरित्र के सम्बन्ध में कम से कम "अच्छा" का उल्लेख/अकित होना आवश्यक होगा।
  14. आवेदक को चयन उपरान्त आचरण सम्बन्धी पुलिस सत्यापन प्रमाण—पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के खिलाफ ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा।
  15. आवेदक को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जाँच सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण—पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णरूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है।
  16. आवेदक जो पहले से ही सरकारी सेवा यथा/जैसे कोट्टीय/राज्य/सरकारी उपक्रमों में नियुक्ति हेतु उनका चयन उक्त पदों हेतु भर्ती में हो गया है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण—पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
  17. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में संबंधित सेवा नियम के अनुसार आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

**आवेदन—पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना/अपूर्ण आवेदन—पत्र नहीं भरने के सम्बन्ध में विशेष निर्देश :-**

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने से पूर्व एकबारीय पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए परीक्षार्थीय हेतु आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी नवीनतम एवं संशोधित आवेदन—पत्र व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा—निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से करते हुए आवेदन—पत्र भरें। कोई गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन—पत्र के सुधार हेतु व्यक्तिशः/ऑफिलाइन प्रार्थना—पत्र/ऑनलाईन प्रार्थना—पत्र/पत्र—व्यवहार इत्यादि स्थीकार नहीं किया जाएगा। चूंकि आयोग द्वारा अभ्यर्थी की पात्रता की जाँच सम्बन्धित भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी होने के पश्चात् अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थीयों द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के माध्यम से पूर्व किये गये ऑनलाईन आवेदन—पत्र में भरी गई सूचनाओं को सही मानते हुए भर्ती परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जायेगा। अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन—पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

**अन्य बिन्दु व सूचना :-** एकबारीय पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थीय हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा—निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से करते हुए आवेदन—पत्र के माध्यम से पूर्व परीक्षा के लिए विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पात्रता नहीं रखता है, इत्यादि के कारण आवेदक का ऑनलाईन/विस्तृत आवेदन—पत्र आयोग द्वारा खारिज/निरस्त कर दिया जाता है, तो इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना—पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थी को कानूनी अधिकार भी नहीं होगा।


अन्य बिन्दु व सूचना :- एकबारीय पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थीय हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा—निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से करते हुए आवेदन—पत्र के माध्यम से पूर्व परीक्षा के लिए विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पात्रता नहीं रखता है, इत्यादि के कारण आवेदक का ऑनलाईन/विस्तृत आवेदन—पत्र आयोग द्वारा खारिज/निरस्त कर दिया जाता है, तो इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना—पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थी को कानूनी अधिकार भी नहीं होगा।

  
**(आशुतोष गुप्ता)**  
**सचिव**

क्रमांक: एफ 7(14) परीक्षा / E.E.O. & Curator/EP-I / 2022–23 / 81

दिनांक : 21.07.2023

**प्रतिलिपि :-** निवेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निवेशालय, राजस्थान, जयपुर को आयोग का उपर्युक्त विस्तृत विज्ञापन सं. 04/परीक्षा/E.E.O. & Curator/EP-I/2023-24 राजस्थान रोजगार सन्देश, जयपुर के नवीनतम संस्करण में केवल एक बार सशुल्क प्रकाशित करवाने हेतु प्रेषित है।

  
**विशेषाधिकारी**

## अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप

विभाग / कार्यालय / संस्था का नाम मय रजिस्ट्रेशन / टोकन नं  
जिला(राज्य): .....

पत्रावली क्रमांक:..... प्रेषित क्रमांक:..... दिनांक:.....

कर्मचारी की सेवा पुस्तिका के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ..... पिता/पति का नाम..... जन्म तिथि..... इस विभाग में प्रथम नियुक्ति तिथि दिनांक..... से निम्न पद/पदों पर कार्यरत रहे हैं/कार्यरत थे जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

| क्र.<br>सं. | पद का नाम | पदस्थापन स्थान | अवधि |    | वेतन | किये गये कार्य का<br>विवरण |
|-------------|-----------|----------------|------|----|------|----------------------------|
|             |           |                | से   | तक |      |                            |
| 1           |           |                |      |    |      |                            |
| 2           |           |                |      |    |      |                            |
| 3           |           |                |      |    |      |                            |
| 4           |           |                |      |    |      |                            |
| योग सेवाकाल |           |                |      |    |      |                            |

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ..... दिनांक..... से ..... तक कुल वर्ष..... माह..... दिन..... का ..... के पद पर कार्य का संतुष्टिजनक अनुभव रखते/रखती है।

प्रति हस्ताक्षर  
(सक्षम अधिकारी)  
(आवश्यकता होने पर)

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर  
मय सील

नोट:-जो लागू न हो उसे काट (X) देवें। उक्त के अतिरिक्त पूर्ण प्रविष्टि करें।